न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1077 सन 2026
CNR No. UPSP 010032252026

1. कार्तिक कुमार पुत्र सुबोध।
2. रवि पुत्र कंवरपाल।
3. विशाल पुत्र कंवरपाल।
4. संदीप पुत्र राजपाल।
5. प्रशान्त कुमार पुत्र अरूण कुमार।
6. सौरभ पुत्र राजपाल।
निवासीगण–ग्राम मिर्जापुर पुजनेकी, थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 200/2025
धारा 191(2),191(3),115(2),126(2),351(3)बी.एन.एस.
थाना बेहट, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

31.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **कार्तिक कुमार, रवि, विशाल, संदीप, प्रशान्त कुमार एवं सौरभ** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी अभिषेक शर्मा द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वह दिनांक 18.05.2025 की शाम 4 बजे अपने खेत से काम करके ट्रेक्टर से घर वापिस आ रहा था तो विपक्षीगण कार्तिक कुमार, रवि, विशाल, सौरभ, संदीप एवं प्रशान्त ने उसे घर के पास रास्ते पर रोक लिया, और विपक्षी विशाल ने उसके सिर में लोहे की छड से प्रहार किया, जिससे वह मौके पर गिर गया तथा अन्य विपक्षीगण ने वादी के साथ लाठी–डंडो व लात घुसो से बुरी तरह मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तण के विरूद्ध मु0अ0सं0 200/2025 अन्तर्गत धारा 191(2),191(3),115(2),126(2),351(3)बी.एन.एस के अपराध में थाना बेहट, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ एवं विवेचना पूर्ण करके अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरिवर्णित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण दौरान विवेचना थाने से जमानत पर है। उनके द्वारा थाने से प्राप्त जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि

तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध जमाव कर वादी का रास्ता अवरूद्ध कर उसके साथ लोहे की छड, लाठी–डन्डों एवं लात–घूसो से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। उक्त आरोप पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.20265 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्तगण की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **कार्तिक कुमार, रवि, विशाल, संदीप, प्रशान्त कुमार एवं सौरभ** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्तगण, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगे, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्तगण, धारा 313 भा.दं.सं के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगे।
5. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।
6. अभियुक्तगण, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
7. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांकः–31.03.2026

(अभय कृष्ण तिवारी)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 6199

Payal
Stenographer